

नेमीचंड वनाम शेवतराम चणे
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


तारीख हुक्म

दावा

मु.न-25/1998

14.07.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

